ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टीए/4339/2003/धौलपुर अपील डिकी/टीए/2386/2004/धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

––

निर्णय

दिनांकः 17–09–19

ये दो द्वितीय अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं0 133/2001 व 134/2001 में पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इन दोनों अपीलों के तथ्य, प्रकृति व कानून बिन्दू समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर, धौलपुर के समक्ष अतरसिंह वगै0 ने एक दावा सं0 68/98 विवादित आराजी के 1/2 भाग के संबंध में दावा इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पतोला पुत्र मनफूल की खातेदारी की आराजी थी। पतोला द्वारा अपने जीवनकालल में ही पूर्ण होश हवास में दिनांक

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टीए/4339/2003/धौलपुर अपील डिकी/टीए/2386/2004/धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30–05–98 को विवादित आराजी की वसीयत वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाकर उप पंजीयक से पंजीकृत करवा दी थी। पतोला की मृत्यु दिनांक 23–06–98 को हो चुकी है, अतः वादीगण उक्त 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 सामन्ती, रेशमदेई व भौती पुत्रियान पतोला द्वारा गलत रूप से अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया गया तथा दौराने दावाप्रति सं0 6 से 10 को बेचान कर दिया। प्रतिवादी सं0 1 से 10 ने दौराने दावा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद आराजी क्रय की है। बयनामा वादीगण के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन है और वादीगण के अधिकार इससे प्रभावित नहीं होते है। अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसी प्रकार दावा सं0 35/99 हेता बनाम सरकार में वादी हेता द्वारा दावा पेश कर कथन किया गया कि विवादित आराजी के 1/2 भाग का वह खातेदार है तथा 1/2 भाग का खातेदार उसका भाई स्व0 पतोला था। पतोला द्वारा अपने हिस्से की आराजी की पंजीकृत वसीयत वादी के पुत्रगण के हक में निष्पादित करवा दी तथा पतौला की मृत्यु दिनांक 23–06–98 को हो चुकी है। पतौला की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी में प्रत्यर्थीगण के साथ उसके पुत्रगण पतौला के 1/2 भाग पर शामिल रूप से काबिज काश्त है। पतौला की पुत्रियों का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है व न ही उनका कब्जा काश्त रहा है। विभिन्न प्रकरणों के विचाराधीन रहते पुत्रियों ने 1/2 भाग का बयनामा दिनांक 07–05–99 को करवा दिया, जिससे क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः वाद स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने दोनों दावों को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, जिन्होंने	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/4339/2003/धौलपुर अपील डिक्री/टीए/2386/2004/धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दोनों दावों को एकजाही कर दोनों दावों में बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2001 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर दो अपीले पृथक पृथक भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिन्हें उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–08–2003 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2001 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर ये दो द्वितीय अपील पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इन दोनों द्वितीय अपीलों में हमारे समक्ष निर्धारण योग्य बिन्दू यह है कि क्या वादी वसीयत के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है? यह तथ्य निर्विवाद है कि वादी द्वारा वाद राजस्व न्यायालय में वसीयतनामे के आधार पर लाया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के वसीयतनामे के संबंध में निष्कर्ष विरोधाभासी है। विचारण न्यायालय ने वसीयतनामे के संबंध में प्रस्तुत गवाहों के बयानों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उन्हें संदेहास्पद माना है। यह सही है कि वसीयतनामे को सिद्ध करने की एक न्यायिक प्रक्रिया है और वह अपनाई जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में वसीयतनामे के संबंघ में उस भांति जांच नहीं की जा सकती जैसी जांच किसी सिविल मामले में की जाना आवययक है। जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिकी/टीए/4339/2003/धौलपुर अपील डिकी/टीए/2386/2004/धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वसीयतनामे के गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है और उन्होंने वसीयत के अस्तित्व को स्वीकार भी किया है, ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस निष्कर्ष से हम पूर्णतया सहमत है कि वसीयतनामे का अस्तित्व में होना एवं उसके गवाहों का न्यायालय के समक्ष पेश होना वादी के वाद को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप ये दोनों द्वितीय अपीले खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–08–2003 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	